57

R. 724-III/14

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–दमोह

श्रीमती प्रेमाबाई पत्नि श्री वंशी पाल, निवासी दभौरा, तहसील व जिला महोबा (उ.प्र.) ...... आवेदिका

विरूद्ध

शिव प्रसाद उर्फ ददुआ पुत्र रामरतन पाल, निवासी ज्योराहा, तहसील लौड़ी, (लवकुशनगर) जिला छतरपुर (म.प्र.) ..... अनावेदक

न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, भूमि खसरा नं. 805, 927, 929 कुल किता 3 कुल कमशः रकवा 0.454, 1.368, 0.049 हैक्टेयर कुल रकवा 1.871 हैक्टेयर स्थित मौजा ज्योराहा, तहसील लौडी की भूमि मृतक महेश्वरीदीन पाल के भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि पर है तथा आवेदिका मृतक महेश्वरीदीन पाल की पुत्री है एवं अनावेदक मृतक महेश्वरीदीन का भतीजा है। भूमिस्वामी महेश्वरीदीन पाल के आवेदिका के अलावा अन्य कोई सन्तान नहीं है। भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 28.08.2007 को हो गयी थी।

2. यहकि, अधीक्षक, भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) छतरपुर के समक्ष अनावेदक द्वारा एक तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा आवेदिका द्वारा वारिसाना आधार नामान्तरण की मांग की गयी थी। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दोनों आवेदन पत्रों की सुनवाई एक साथ ही जाकर अनावेदक के पक्ष में वसीयतनामा को प्रमाणित मानते हुए आदेश दिनांक 22.04.2010 को नामान्तरण आदेश पारित किया था।

3. यहकि, श्रीमान् अधीक्षक, भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) छतरपुर के आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के समक्ष अपील प्रकरण कमांक 218/अ–6/09–10 प्रस्तुत की गयी थी, जो आदेश दिनांक 28.06.2012 से स्वीकार की जाकर मृतक भूमिस्वामी महेश्वरीदीन पाल की पुत्री आवेदिका श्रीमती प्रेमाबाई के नाम वारिसाना नामान्तरण मान्य किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया था।

4. यहकि, अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो प्रकरण कमांक 42/अ–6/2012–13 पर पंजीबद्ध की जाकर पारित आदेश दिनांक 03.02.2014 से प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 724-III/14 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-1-17	आवेदिका की ओर से श्री बी.के. द्विवेदी अभिभाषक द्वारा अग्रिम सुनवाई एवं प्रकरण को आगे नहीं चलाने सम्बन्धी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदिका श्रीमती प्रेमाबाई स्वयं भी उपस्थित। अनावेदक की ओर से भी शासकीय अभिभाषक उपस्थित। विचारोपरांत आवेदक अभि. द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए प्रकरण not press में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	प्रेमा पाल (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) Not Press 4-1-17
R (हस्ताक्षर)		

[कृ. प. उ.